न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 135 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
कालू पुत्र मीठाखांन जाति मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. राणा पुत्र मीठाखां 2. खबड़ पुत्र मीठाखां 3. अरबाब पुत्र खमीशा 4. साहेबा पत्नी कालूखां 5. आचार पुत्र ठारू का.मु. 5 / 1कबूल पुत्र आचार 5 / 2सरी पत्नी आचार जाति मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 6. हाकमखांन पुत्र सचूखांन जाति मुसलमान निवासी आगासड़ी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 33 / 2021 बअनवान राणा वगैरा बनाम अरबाब वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 136 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
कालू पुत्र मीठाखांन जाति मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. राणा पुत्र मीठाखां 2. खवड़ पुत्र मीठाखां 3. अरबाब पुत्र खमीशा 4. साहेबा पत्नी कालूखां 5. आचार पुत्र ठारू का.मु. 5 / 1कबूल पुत्र आचार 5 / 2सरी पत्नी आचार जाति मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 6. हाकमखांन पुत्र सचूखांन जाति मुसलमान निवासी आगासड़ी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 33 / 2021 बअनवान राणा वगैरा बनाम अरबाब वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2022 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

2. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेंट संख्या 06 की ओर से।
3. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 से 5/2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 20.11.2024

हस्तगत दोनों ही अपीले एक ही आराजी एवं समान खातेदारों के मध्य विवाद के बिंदुओं को लेकर है इसलिए निर्णय दानों ही अपीलों का साथ किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति पृथक पृथक अपील पर रखी जा रही है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कुन्दनपुरा पटवार क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 391 रकबा 52.17 बीघा का आया हुआ है, जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 2/51 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है परन्तु पक्षकारान के मध्य हिस्से नहीं खुल्ले हुऐ होने तथा पक्षकारान के विधिवत बंटवाड़ा नहीं किया हुआ है इसलिए वादीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या संख्या छः की ओर से कांउटर क्लेम प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। दिनांक 28.09.2022 को वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनका वाद अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया तथा प्रतिवादी के काउंटर क्लेम पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सेड़वा से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिया गया, जिसके विरूद्ध अपील संख्या 135/2022 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2022 पारित की गई, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 136/2022 पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का सम्मन तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस वादग्रस्त खेत के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.04.2022 को हाकमखान पुत्र सचूखां ने एक प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के तहत पक्षकार बनने हेतु पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन प्रार्थना-पत्र का जबाव लिये बिना ही उक्त आवेदन को स्वीकार कर हाकमखान को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 6 के वकील ने ही संशोधित शीर्षक पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

30.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 6 हाकमखां की ओर से वकालतनामा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 हाकमखां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश जबावदावा व प्रतिदावा के सत्यापन बाबत प्रतिवादी संख्या 6 हाकमखां के हस्ताक्षर तक नहीं है तथा न ही जबावदावा व प्रतिदावा को सत्यापित किया गया है तथा न ही जबावदावा व प्रतिदावा पर तारीख अंकित है तथा प्रतिदावा के समर्थन मे पेश शपथ–पत्र तस्दीक सुदा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा साक्ष्य बावत पेश शपथ–पत्र किसी भी शपथ आयुक्त से तस्दीक सुदा नहीं है तथा न ही शपथ–पत्र पर दिनांक अंकित है तथा आधा अधूरा पेश किया गया है जो भी साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सेड़वा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सेड़वा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सेड़वा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णयों को खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 7183/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रत्युतर में वकील रेस्पोडेंट संख्या 06 ने अपनी बहस निवेदन किया कि काउंटर क्लेम वादी एवं शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया। बंटवारे के दावे में सभी पक्षकार को वादी माना जाता है तथा दावे राज्य सरकार के विरूद्ध लगान के बंटवारे के लिए पेश किया जाता है। अपीलांटस के नाम से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये। अपीलांटस द्वारा अपील में यह बात कही पर भी नहीं बताई गई कि वो नोटिस नहीं मिले हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी रजिस्टर्ड डाक से सम्मन की कंफर्म डिलेवरी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। इसलिए अपीलांटस द्वारा पेश प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से तहसीलदार सेड़वा, हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस मौके पर उपस्थित थे लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। उसके बाद भी अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर एतराज कर सकते थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार एकतराज पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अतः अपीलांटस की प्रस्तुत दोनो अपीले को खारिज फरमायी जावे।

उत्तरदाता संख्या 01, 04 से 5/2 की तरफ से अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हम पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार की गई जो विधि सम्मत नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार नहीं किया गया। अतः अपीलों को स्वीकार फरमाया जाकर हम पक्षकारान को सुनवाई का मौका दिया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी/अपीलांट कालूखां को भेजे गये सम्मन की द्वितीय प्रति, पोस्टल रसीद एवं पोस्टल ट्रेक रसीद मुताबिक सम्मन अपीलांटस पर सम्यक रूप से तामील हुआ है तथा उसे सम्मन की डिलेवरी होने की कंफर्म रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील नहीं करवायी गई। अपीलांट द्वारा बावजूद सम्यक तामील विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 23.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाना पाया जाता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा तामीली के संबंध प्रस्तुत उज्र समाप्त हो जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से पक्षकारान् के हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल होने तथा हिस्से परिवर्तन होने का उज्र नहीं उठाया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के हक–हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार सेड़वा को निर्देशित किया गया है। लिहाजा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नही है।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12 अक्टूबर 2022 के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार सेड़वा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यालय से आदेश क्रमांकः भू.अ./2022/266–272 दिनांक 30.09.2022 के जरिये नोटिस जारी किये गये। विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित है कि वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण हाजिर थे, किंतु उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार तहसीलदार सेड़वा द्वारा जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से मुख्य सड़क पर समान रूप से पक्षकारान् को हिस्सा एवं सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखा गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सेड़वा द्वारा विधिनुसार By metes & Bounds तैयार किये गए विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार के एतराज प्रस्तुत नहीं किये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले अदालत हाजा की राय में स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तदनुसार खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2021 बअनवान राणा वगैरा बनाम अरबाब वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 व निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.10.2022 को यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर